राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–1 / 2017 / 1157 **दिनांक: 22 / 05 / 2017**

विज्ञापन संख्या : 03 / संस्था.–1 / 2017

विश्वविद्यालय सूचना संख्या–16, दिनांक 10–01–2017 में वर्णित अध्यादेश 141 के प्रावधानों के अन्तर्गत, निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 24.05.2017 से ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 23.06.2017 समय 23.59 Hrs. तक है।

Application in the prescribed form are invited for appointment on the post of Professors/Librarian (37400-AGP-10000) in various subjects as per following terms and conditions.

Teaching Posts

S.No.	**Name of Department**	**Professor**
		UR
1.	Law	2
2.	E.A.F.M	1
3.	Business Admn.	1
4.	A.B.S.T	1
5.	Political Science	2
6.	Sociology	1
7.	History	1
8.	Zoology	1
9.	Physics	1
10.	Psychology	1
11.	Statistics	1
12.	Botany	1
13.	Hindi	1
14.	Chemistry	1
15.	English	1
16.	Sanskrit	1
17	P.I.M.	1
18.	Home Science	1
19.	Public Admn.	1
20.	Economics	1
21.	Mathematics	1
22.	Philosophy	1
23.	Music	1
24.	Drawing & Painting	1

Other Posts

S.No.	Post	**UR**
1.	Librarian	1

नोट– उपरोक्त रिक्तियों के सम्बन्ध में विशेष योग्यजन आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमों के तहत देय होगा।

नोट :–

1. चयन प्रक्रिया विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रभावी अध्यादेश 141 के अधीन होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् मुद्रित (printed) हार्डकॉपी समस्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों, यथा– शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित दिनांक 30.06.2017, अपराह्न 2.00 बजे तक कक्ष संख्या–205, सरदार पटेल भवन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में जमा हो जाने चाहिये।

2. छँटनी (short-listing) हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने तथा बिना कारण निर्दिष्ट किए विज्ञापित पद पर भर्ती नहीं करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।

3. राजस्थान सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रावधान राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभावी होंगे।

4. इस विज्ञप्ति के प्रसारण एवं चयन प्रक्रिया के समापन तक रिक्तियों में विधिक तौर पर कोई अन्तर आने की स्थिति में रिक्त पदों की गणना चयन प्रक्रिया के समापन के समय की जायेगी। पदों की संख्या में कमी एवं बढ़ोतरी का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

5. विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित नियुक्ति सम्बन्धित विज्ञापन/विज्ञापनों में जारी पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं चयन प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण पूर्ण रूप से इस विज्ञापन द्वारा अधिक्रमित (Supersede) किए जाते हैं।

6. **आवेदन शुल्क :–**

आवेदक को निम्नानुसार आवेदन शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा।

क्र.सं.	प्रवर्ग	आवेदन शुल्क (रुपए)
1.	सामान्य संवर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	1000/–
2.	राजस्थान के अनु.जाति/अनु.जनजाति/पिछड़ा वर्ग नॉन–क्रीमीलेयर	500/–
3.	विशेष योग्यजन (शारीरिक विकलांग/ दिव्यांग) अभ्यर्थी	100/–

नोट : (1) राजस्थान राज्य से अन्य भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।

(2) आवेदन शुल्क वापसी– आवेदन शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही आवेदन शुल्क किसी अन्य आवेदन हेतु आरक्षित किया जायेगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन ही निरस्त नहीं कर दिया जाता। विज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति में ही आवेदन शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी।

<u>आवेदन करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>

7. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन–पत्र भरा जाएगा एवं शुल्क भी प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग से देय होगा।

8. **ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 23.06.2017 समय रात्रि 11.59 बजे तक है,** जिनकी मुद्रित (printed) हार्डकॉपी समस्त महत्वपूर्ण वांछनीय/आवश्यक दस्तावेज़ों की समुचित पठनीय स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सहित विश्वविद्यालय में दिनांक 30.06.2017, अपराह्न 2.00 बजे तक जमा करानी होगी।

9. राजस्थान राज्य से बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन अभ्यर्थी व महिला, राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के नियमों के अनुसार आरक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे अतः उन्हें अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही माना जावेगा अर्थात् राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

10. चयन प्रक्रिया में हुई चूक अथवा त्रुटि के ज्ञात होने की स्थिति में, किसी भी स्तर (stage) पर, यहाँ तक कि नियुक्ति–पत्र जारी होने के पश्चात् भी, अभ्यर्थी को प्रदत्त/ जारी किसी भी संचारण अथवा पत्र–व्यवहार को संशोधित, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होगा।

11. किसी प्रकार के डाक विलम्ब तथा साक्षात्कार के आयोजन एवं परिणाम एवं साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित नहीं करने के कारणों के सम्बन्ध में किसी प्रकार के पत्र–व्यवहार पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित जानकारी हेतु आवेदक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट का अवलोकन करें।

12. केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, आवेदन–पत्र के सम्बन्धित स्थान पर अपनी श्रेणी इंगित करें एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति विषयक वैध प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति हार्डकॉपी के साथ संलग्न करें। पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वृहत् प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

13. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।

14. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

15. पूर्व से सेवा में नियोजित अभ्यर्थी, नियत तिथि के भीतर अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

16. अधूरे भरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–1 / 2017 / 1158–1257 **दिनांक: 22 / 05 / 2017**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप–खण्ड रोज़गार अधिकारी, जलेब चौक, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, संघटक महाविद्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक / अशैक्षणिक विभाग / इकाई, रा.वि.वि., जयपुर।
7. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापन एवं पात्रता / योग्यता सम्बन्धी विवरण को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
12. निजी सचिव–कुलपति / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
कुलसचिव

(Shukla)
22/5/17